झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–874 वर्ष 2017

सुर्जा लाल बेगी, पे0 स्वर्गीय रामु लाल बेगी, निवासी झरिया बाल्मिकी विद्या मंदिर के नजदीक, डाकघर एवं थाना–झरिया, जिला–धनबाद (झारखण्ड)।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2000 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण) अपने प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद के माध्यम से।
2. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।
3. कार्यकारी अधिकारी, माडा, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माडा, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री तरूण कुमार सं0 1, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– मेसर्स भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्तागण

02 / 28.02.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याची, जिसकी प्रतिवादी खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, माडा, धनबाद के तहत 03.07.1981 को झरिया सर्किल, माडा, धनबाद में सफाईकर्मी के रूप में नियुक्ति हुई थी, वह खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद की सेवाओं से 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि सम्पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि ए0सी0पी0 का बकाया, छठा वेतन पुनरीक्षण, 50 प्रतिशत भविष्य निधि, वेतन में वृद्धि, ग्रेच्युटी, ब्याज के साथ भविष्य निधि, समूह बीमा, अंतरिम राहत, क्षेत्रीय भत्ता, छुट्टी नकदीकरण, केंद्रीय छठे वेतन संशोधन और अन्य बकाया राशि का ब्याज के साथ जिसका अनुलग्नक–2 में जिक्र है, अभी तक उसे भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि उसने अनुलग्नक–2 द्वारा माडा के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन के जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति बकायों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन देने की अनुमति याचिकाकर्ता को देकर रिट

याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 विधि के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा और उसके बाद उसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह सेवानिवृत्ति की बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया को पाने का हकदार है, तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ भी इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)